म0प्र0शासन ————————

विविध 9186/II/16

बनाम

इन्द्र बहादुर सिंह आत्मज रघुनंदन सिंह निवासी
ग्राम खैरहा तहसील सोहागपुर मृत
जरिये कानूनी वारिसान ——— धारक/अनावेदक

1. मानधाता सिंह
2. प्रतिभा सिंह
3. प्रतिमा कुमारी

} वारिसान डॉ0 इन्द्र कुमार सिंह

4. कमला सिंह
5. भवानी सिंह
6. गौरी सिंह
6. राघवेन्द्र सिंह

} वारिसान भारतेन्द्रु सिंह

———— धारक के कानूनी वारिसान

म0प्र0 सीलिंग अधिनियम 1960 के अंतर्गत कार्यवाही
प्रार्थना पत्र वास्ते विवाद कम्पीटेन्ट एथार्टी के विनिश्चय के लिए

मान्यवर,

धारक/अनावेदक मानधाता सिंह का निम्न लिखित निवेदन है :—

1. यह कि उपरोक्त मामला इस न्यायालय में विचाराधीन है इस मामले के संबंध में धारक के लिए कम्पीटेन्ट एथार्टी कलेक्टर शहडोल थे मध्य प्रदेश सीलिंग आन एग्रीकल्चर होल्डिंग एक्ट 1960 जैसा कि सन् 1974 में संशोधित किया गया है अधिनियम की धारा 2 (ई) में कम्पीटेन्ट एथार्टी की जो परिभाषा दी गई है वह निम्नानुसार है :—

क. जहॉ धारक की सम्पूर्ण भूमि अनुभाग के अंतर्गत स्थित हो वहॉ संबंधित अनुविभागीय अधिकारी ।

ख. जहॉ धारक की भूमि एक से अधिक अनुभाग में उसी जिले में स्थित हो वहॉ संबंधित जिले का कलेक्टर कम्पीटेन्ट एथार्टी होगा।

ग. जहॉ धारक की भूमि एक से अधिक जिलो में स्थित हो वहॉ पर स्टेट गवर्नमेन्ट द्वारा नियुक्त अधिकारी कम्पीटेन्ट एथार्टी होगा।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक विविध 9186–दो/2016 जिला शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–12–2016	आवेदक शासकीय पैनल अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। 2/ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने अपने पूर्वाधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 02/बी–90(3)/2015–16 एवं प्रकरण कमांक 01/बी–90(3)/2015–16 म0प्र0 शासन बनाम इन्द्रबहादुर सिंह को पुनर्विलोकन में लिये जाने हेतु इस न्यायालय प्रकरण प्रेषित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त रीवा जिन प्रकरणों में पुनर्विलोकन अनुमति चाह रहे हैं अपर आयुक्त के उक्त प्रकरणों के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण कमांक 2072–दो/2016 एवं 2071–दो/2016 लंबित है जिसमें अपर आयुक्त के आदेश को चुनौती दी गई है एवं अपर आयुक्त के उपरोक्त अभिलेखों की आवश्यकता भी है। चूंकि इस न्यायालय में पूर्व से निगरानी प्रचलित है ऐसी दशा में पुनर्विलोकन की अनुमति दिया जाना विधि की मंशा के विपरीत होगा क्योंकि जब वरिष्ठ न्यायालय में उसी प्रकरण एवं आदेश को चुनौती दी गई हो, तब अधीनस्थ न्यायालय में तत्समय किसी प्रकार की अग्रिम कार्यवाही विधिअनुकूल नहीं कही जा सकती। जहां तक आयुक्त को दिये अभ्यावेदन का प्रश्न है संबंधित पक्षकार सक्षम न्यायालय में चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है परन्तु विधि के विपरीत सक्षम न्यायालय के अतिरिक्त अन्य	

न्यायालय से किसी पक्षकार को लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त रीवा द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन अनुमति संबंधी आवेदन निरस्त किया जाता है। निगरानी प्रकरण कमांक 2072–दो/2016 एवं 2071–दो/2016 के निराकरण में में अपर आयुक्त रीवा के वांछित प्रकरण कमांक 02/बी–90(3)/2015–16 एवं प्रकरण कमांक 01/बी–90(3)/2015–16 की आवश्यकता होने से इसी न्यायालय में रोके जाते हैं। इस आदेश की प्रति अपर आयुक्त को भेजी जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य